न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — **श्री महेन्द्र सोनी**
आई.ए.एस

अपीलान्टस	**बनाम**	**रेस्पोडेन्टस**
भीखाराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी रंगाला तहसील बागोडा जिला जालोर		1.गणेशाराम पुत्र खंगाराराम 2.भगाराम पुत्र खंगाराराम 3.मेहराराम पुत्र खंगाराराम 4.श्रीमती गवरी बेवा खंगाराराम जाति जाट निवासी रंगाला तहसील बागोडा जिला जालोर

प्रकरण संख्या अपील — **33/2018**

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

.....

पक्षकारान के अधिवक्तागणः—
1— श्री परमानन्द शर्मा वकील अपीलान्ट
2— श्री सिकन्दर अली अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3
3— श्री छोटूसिंह सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः—12.02.2019

अपीलान्टस के द्वारा यह अपील तहसीलदार बागोडा के आदेश दिनांक 25.07.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जो ग्राम लुम्बाराम बांता की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 44 पर पारित किया गया है।

अपीलान्टस के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से संबधित अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। तपश्चात प्रकरण में बहस सुनी गई।

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट व अन्य व्यक्तियो के विरूद्ध एक वाद सहायक कलेक्टर बागोडा के न्यायालय में बाबत घोषणा खातेदारी हक एवं जोडने रकबा का प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 04.07.2011 एंव संशोधित निर्णय दिनांक 14.07.2011 जरिये राजस्व वाद संख्या 38/2011 अनवान भीखाराम बनाम गणेशाराम निर्णित किया गया जिसके विरूद्व श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय पाली कैम्प जालोर के न्यायायल में प्रथम अपील संख्या 69/2011 अनवान देराम बनाम भीखाराम आदि दर्ज की जाकर दिनांक 24.12.2013 को अपील निर्णित करते हुये अपील खारिज की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बागोडा का निर्णय यथावात रखा। यहा पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सहायक कलेक्टर बागोडा द्वारा अपने निर्णय व डिक्री के जरिये सरहद मौजा लुम्बाराम बांता की ढाणी के वर्तमान खसरा नंबर 240 रकबा 3.75 हैक्टर में से 0.12 हैक्टर एवं वर्तमान खसरा नंबर 250 रकबा 2.31 हैक्टर में से 0.04 हैक्टर भूमि तथा खसरा नंबर 593 रकबा 4.84 हैक्टर में से 0.92 हैक्टर भूमि अपीलांट के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था जिसकी पालना में अपीलांट के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 44 राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया था,कालान्तर में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील डिक्री/टी.ए/189/2014 जालोर देराम आदि

जिला कलेक्टर,जालोर

बनाम भीखाराम आदि दर्ज की जाकर दिनांक 26.07.2016 को अपील निर्णित करते हुये राजस्व अपील अधिकारी पाली कैम्प जालोर का निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2013 तथा सहायक कलेक्टर बागोडा का निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2011 तथा संशोधित निर्णय दिनांक 14.07.2011 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बागोडा को प्रतिप्रेषित कर नियमानुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु आदेश दिया गया।उक्त निर्णय की आड में अपीलाधीन नामान्तरकरण 44 दिनांक 25.07.2018 को पारित किया गया है।जिसके विरूद्व अपीलांट उक्त अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत करते है।अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने में न केवल तथ्यो की भूल की है बल्कि विधि के मूलभूत सिद्वान्तो की भी भूल की है जिससे आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 26.07.2016 की पालना में उपरोक्त नामान्तरकरण पारित करना बताया है,यहा पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पूर्व के निर्णय में कुल तीन नामान्तरकरण 327,328 व 44 भरे गये थे परन्तु आदेश जैर अपील के माध्यम से मात्र नामान्तरकरण संख्या 44 ही अपास्त किया जो विधिमान्य नही होने से आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व एक प्रार्थना पत्र श्रीमान सहायक कलेक्टर को दिनांक 23.4.2018 भिजवाया गया एवं मार्गदर्शन मांगा गया जिस पर दिनांक 19.06.2018 को सहायक कलेक्टर बागोडा द्वारा अधिनस्थ न्यायालय ने यह टिप्पणी के साथ मार्गदर्शन प्रदान किया कि अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नही हो तो माननीय राजस्व मंडल के निर्णय दिनांक 26.07.2016की पालना करे,उक्त मार्गदर्शन में स्वंय के न्यायालय में विचाराधीन वाद के संबंध में कोई टिप्पणी नही की गई और न ही अपीलाधीन नामान्तरकरण पर प्रकरण उपखंड अधिकारी बागोडा के समक्ष विचाराधीन होने का कोई नोट लगाया गया है जिससे आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व मंडल द्वारा अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया कि पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाने का आदेश पारित किया।उक्त आदेश में पूर्व आदेश की पालना में भरे गये तमाम नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने संबंधी कोई आदेश पारित नही किये गये जब राजस्व मंडल ने निर्णय की पालना में भी वर्तमान में वाद विचाराधीन है एवं पेशी दिनांक 06.03.2018 तक वास्ते जबाब हेतु तारीख मुकरर है तो उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण मात्र रेस्पोडेन्ट को लाभ पहुचाने के उद्देश्य से पारित किया जाना प्रमाणित है जिससे आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 स्वंय राजस्व वाद संख्या 3/2017 में पक्षकार है जिससे उन्हे तमाम कार्यवाही की जानकारी होने के पश्चात भी उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया जो विधिमान्य नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व मंडल द्वारा आदेश दिनांक 26.07.2016 को पारित किया गया था जिसके निर्णय की आड में अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश के दो वर्ष पश्चात दिनांक 25.07.2018 को पारित किया गया है जो मनमाने तरीके से किया गया है एवं राजस्व वाद के विचाराधीन रहते हुये पारित किया गया है जिससे आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। किसी भी न्यायालय का यह कर्तव्य है कि पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद को समाप्त करे या उसे रोके परन्तु उपरोक्त प्रकरण में

जिला कलेक्टर, जालोर

निष्पादित की गई कार्यवाही से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मध्य विवाद उत्पन्न किया गया है जिससे आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट अपनी बहस में बताते है कि उपखण्ड अधिकारी बागोडा के निर्णय की पालना में तीन नामान्तरकरण संख्या 327,328,44 भरे जाकर पारित किये गये थे पर रेस्पोडेन्ट को फायदा देने के उद्देश्य से एक मात्र अपीलाधीन नामान्तरकरण ही खारीज किया है,अतः नामान्तरकरण गलत तरीके से खारीज किया है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट अपनी बहस में बताते है कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज किया है अर्थात माननीय राजस्व मण्डल के निर्णयानुसार उपखंड अधिकारी बागोडा के निर्णय की पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण भरा गया था वह निर्णय माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निरस्त कर दिया है व प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को रिमाण्ड किया है अतःउस निर्णय को जिसे माननीय राजस्व मण्डल ने निरस्त कर दिया है उसी अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करने में कोई त्रुटि नही की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अभिभाषक की बहस पर मनन किया। तदानुसार इस न्यायालय का अभिमत है कि पूर्व में जो नामान्तरकरण संख्या 44 दर्ज किया गया था वह सहायक कलेक्टर न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.07.2011 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 14.07.2011 की अनुपालना में दर्ज किया गया था। बाद में माननीय राजस्व मण्डल ने द्वितीय अपील निर्णय दिनांक 26.07.2016 द्वारा सहायक कलेक्टर के निर्णयो तथा राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का निर्णय दिया। तदानुसार चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के जिस निर्णय के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया था वह निर्णय ही माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपास्त कर दिया गया है। अतः राजस्व रिकोर्ड में पूर्व स्थिति बहाल किये जाने में कोई विधिक गलती प्रतीत नही होती। सहायक कलक्टर न्यायालय में प्रतिप्रेषित प्रकरण लम्बित होने पर भी राजस्व रेकर्ड की अपास्त निर्णय के पूर्व की स्थिति बहाल करने पर कोई रोक या स्थगन नही है। तदानुसार यह अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारीज की जाती है।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय आज 12.02.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.12 18:19:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: